



**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**  
**लखनऊ**  
**आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 4803/2026**

कमलेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ कमल

...प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह लखनऊ

...विरोधी पक्षकार(गण)

---

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता       | : - सचिदा नन्द तिवारी |
| विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता | :- शासकीय अधिवक्ता    |

---

**न्यायालय संख्या - 16**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिये विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

प्रार्थी की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र थाना- मानिकपुर, जिला - प्रतापगढ़ में भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(4)/ 308(5) के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 369/2026 के विचारण के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे यह प्रस्तुत किया कि प्रार्थी 18 वर्ष का लड़का है और उसे बिना किसी ठोस कारण के इस मामले में फंसाया गया है। उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि आरोपों की प्रकृति इतनी गंभीर नहीं है और अनाम स्रोतों/आपसी रंजिश के कारण प्रार्थी को फंसाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय न्याय संहिता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की धारा 308(4) और 308(5) के घटक इसके उचित परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में दिनांक 31.05.2026 से जेल में है। प्रार्थी यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह इसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी अपराध करने में संलिप्त रहा है, इसलिए वह जमानत का हकदार नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख का परिशीलन करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि प्रार्थी 18 वर्ष का लड़का है और उसे आपराधिक मामले में फंसाया गया है। ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि वह आपराधिक कार्यवाही में सहयोग नहीं कर रहा है। वह दिनांक 31.05.2026 से जेल में है और उसने वचन दिया है कि यदि जमानत दी जाती है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, दंड के सुधारात्मक सिद्धांत तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोषों पर कोई विचार व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत हेतु एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

उपरोक्त अपराध में संलिप्त प्रार्थी- **कमलेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ कमल** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जाए:-

- (1) प्रार्थी विवेचना या विचारण के दौरान साक्षियों को डराकर/धमकाकर या किसी अन्य तरीके से अभियोजन साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेगा;
- (2) प्रार्थी इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब न्यायालय में साक्षी उपस्थित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। वह व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत की गई प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के अंतर्गत कार्यवाही कर सकेगा;

(3) प्रार्थी (i) विचारण के प्रारंभ होने, (ii) आरोप विरचित होने, और (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा; और

(4) यदि प्रार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

प्रतिभूगण की पहचान, स्थिति और आवासीय प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय जमानत रद्द करने और प्रार्थी को जेल भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां कठोरतापूर्वक इस जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण तक ही सीमित हैं और इसे मामले के गुण-दोष पर किसी प्रकार के प्रभाव के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

29 जून, 2026

मुक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।